HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14053/2024

Sanjay S/o Sukh Lal Jat, Aged About 24 Years, R/o Chidkheda , P.s. Gangapur, Dist Bhilwara (Raj.) (Lodgedin Dist Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14796/2025

Bhagu Ram Teli S/o Mohan Lal Teli, Aged About 40 Years, R/o Mokunda Ka Khera Police Station Raipur District Bhilwara (Lodged In Dist. Jail, Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhagirath Ray Bishnoi Mr. Sanjay Mathur Ms. Rachita Mathur
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्–पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– गंगापुर (भीलवाड़ा), जिला– भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 208/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20, 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त भागूराम के संदर्भ में धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत

अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जा चुका है और इस प्रकार की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त भागूराम का ब्रेजा कार से संबंधित अन्य दो व्यक्तियों राजेन्द्र व शिवलाल से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल के माध्यम से या अन्यथा कोई संबंध रहा हो। अभियोजन पक्ष की कहानी यह रही है कि ब्रेजा कार से राजेन्द्र व शिवलाल नामक व्यक्तियों के सचेत आधिपत्य से कुल 169.460 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त संजय की कोई कॉल डिटेल ब्रेजा कार में सवार सहअभियुक्तगण राजेन्द्र व शिवलाल से नहीं पाई गई है तथा स्विफ्ट कार में सवार सत्यनारायण, लोकेश व निर्मल की जमानत याचिका पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और प्रार्थी/अभियुक्त संजय का प्रकरण उनके प्रकरण से भिन्नता रखते हुए नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं। अनुसंधान अधिकारी ने अपने बयानों में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त संजय से संबंधित कोई कॉल डिटेल उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त संजय उक्त अपराध में संबद्ध रहा हो, इस संदर्भ में कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त भागूराम के संदर्भ में यह तथ्य आया है कि उक्त ब्रेजा कार, जो कि स्विफ्ट कार को एस्कॉर्ट कर रही थी, प्रार्थी/अभियुक्त भागूराम के कब्जेशुदा थी और इस संदर्भ में इकरारनामा मुख्य स्वामी द्वारा निष्पादित, अभिलेख पर लाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त संजय के संदर्भ में यह तथ्य आया है कि उक्त अभियुक्त स्विफ्ट कार में सवार सहअभियुक्त निर्मल के माध्यम से ब्रेजा कार के मुलजिमों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क में था। अतः प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त भागूराम के संदर्भ में मात्र यही तथ्य अभिलेख पर है कि ब्रेजा कार तथाकथित रूप से उसके कब्जेशुदा थी, इस संदर्भ में ब्रेजा कार का स्वामित्व उक्त प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं पाया गया है। उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्तगण राजेन्द्र व शिवलाल से मोबाइल के माध्यम से कोई संबद्धता नहीं पाई गई है।

जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त संजय का प्रश्न है, इस संदर्भ में अन्य समानांतर सहअभियुक्त निर्मल व लोकेश की जमानत याचिकाएं समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. संजय पुत्र सुखलाल जाट, 2. भागूराम तेली पुत्र मोहनलाल तेली** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 31-32